

11  
 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

हु.नं. 27/14

तारीख रक 3.7.14

उनवान- रामफल के गो बनाम कुट्टू के गो

शर्चना पत्र आस्थाई निषेधाज्ञा

शर्ची की ओर से श्री विजय शर्मा एडवोकेट ने शर्चना पत्र आस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। अवलोकन किया गया। शर्चना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अपील गण को नोटिस जारी कर तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 22.8.14 को पेश हो।

1574-26  
 4-7-14

उप जिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (करौली)

22/14

बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। अपील गण का कसूर सूचना उपर नहीं उए है। P.O. का पत्र कोरौली सीटिंग में पधार है। वास्तु अग्रिम आदेश दिनांक 26.8.14 को पेश हो।

26/14

पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी... का नामांतरा... है। गतानुसार दिनांक 16.9.14 को पेश हो।

16/14

शर्ची की ओर से अपील नं. 3 का कसूर सूचना उपर नहीं है। उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अपील नं. 1 व 2 की ओर से श्री... ने वकालतनामा पेश किया। वास्तु अग्रिम दिनांक 15.10.14 को पेश हो।

2  
 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करेला  
 पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार 26.5.15 को पेश हो।  
 दिनांक 26.5.15 को पेश हो।

पत्रावली जनरल पेशी से पेश हुई। वकुलाय उप  
 पोसाच चुनाव कार्य में व्यस्त है। वस्ति बटस  
 गतानुसार दिनांक 6.8.15 को पेश हो।

वकुलाय उप/ वस्ति बटस दि. 4.9.15 को पेश हो।

वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करेला  
 है। गतानुसार दिनांक 9.10.15 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। प्राथी वकील उपस्थित  
 नहीं। रक्षाधी वकील उपस्थित नहीं।  
 वकील के उपस्थित नहीं होने पर युवाओं  
 किमा युव प्राथीना पत्र शरिज कले  
 का निवेदन किया। कई बार आवाज  
 दिलाई गई। किन्तु प्राथी वकील एवं  
 प्राथीगण में से कोई उपस्थित नहीं।  
 अतः प्राथीना पत्र कास हाजिरी कास  
 पैवरी में शरिज किया जा रहा है।  
 पत्रावली फेराल शुभार नम्बर से  
 कम की जाकर हाजिरी उपस्थित हो।  
 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया  
 गया।

उपजिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (करौली)